(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–60/2012

लेखराम पुत्र श्री पालाराम जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज.

..........**वादी**

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्री उमरावसिंह जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
2. सुमित्रा पत्नी विक्रमसिंह जाति अहीर निवासी बुहाना तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज.
3. वीरमति पत्नी सुरेश कुमार जाति अहीर निवासी बलाहा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
4. सुनीता पत्नी सुरेश कुमार
5. पालदेवी पत्नी सज्जन कुमार जाति राजपुत निवासी ठोठी, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज
6. सन्तोष देवी पत्नी औमप्रकाश
7. महेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम जाति महाजन निवासी बुहाना, झुन्झुनूं राज. (बेचान/हजफ)
8. चन्द्रभानसिंह पुत्र भगवत सिंह जाति राजपुत नि. बुहाना तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज(बेचान/हजफ)
9. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री उमरावसिंह जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान
11. महावीर प्रसाद पुत्र भोलाराम जाति खाति निवासी बुहाना, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

.......**प्रतिवादीगण**

<u>वाद खाता विभाजन</u>

—:निर्णयः—

दिनांकः– 3/2/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:22 IST
Reason: SelfAttested

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित आराजी खाता संख्या 919 ... जमाबंदी संवत 2066–69 हाल ख. न. 1764/4 ... रकबा 0.888923 है. के ...

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6, 9 व 11 संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है।

2. वाद वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 0.066868 है., है। शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6, 9 व 11 का है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 0.0182043 है., प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा 0.033434 है., प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 0.016721 है., प्रतिवादी सं. 5 व 6 का हिस्सा 0.033434 है., प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 0. 83923 है., प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 0.04725 है. दर्ज रिकॉर्ड है।

3. मौके पर वाद वर्णित भूमि का पक्षकारान ने आपसी समहमती से बाहमी बंटवारा कर रखा है। तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है।

4. वादी का वाद निर्धारित कोर्ट फीस पर व मय शपथ पत्र पेश किया गया है।

वादी द्वार अनुतोष चाहा गया किः–

(क). वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 1764/4 रकबा 0.888923 है. भूमि में वादी का हिस्सा 0.066868 है., भूमि का खाता अलहेदा कायम कर लगान भी अलग से कायम कर रिकॉर्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से की ओर से श्री नरेश भारद्वाज ने यु.टी. (under taking) पेश की। प्रतिवादी सं. 11 ने इकबालिया जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3). प्रतिवादी सं. 11 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा. दीवानी पेश किया गया कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी ने दावे के प्रतिवादी सं. 7 व 8 से उनके हिस्से की भूमि 0.083923 है. हिस्सा जरिए नामांतरकरण सं. 3565 दिनांक 5.03.2014 को क्रय कर जमाबंदी सं. 2070–73 में अमल दरामद किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजियत में प्रार्थी बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अन्यथा प्रकरण में सही न्याय नहीं हो सकेगा। व प्रार्थी अपने हक अधिकार से वंचित रह जायेगा इसलिए दावे में प्रार्थी को प्रतिवादी सं. 11 बनाया जाकर वाद शिर्षक में लाय स्याही से प्रतिवादी का नाम दर्ज किया जावे।

(4). प्रतिवादी सं. 11 की ओर से जवाब दावा म[illegible] रहा कि– प्रतिवादी सं. 11 ने वादी के वाद पत्र को स्वीका[illegible] दावे [illegible] समय प्रति. सं. 1 लगायत 9 खातेदार काश्तकार थे। लेकिन प्रतिवादी सं. 11 [illegible] प्र. स. 7 व 8 से उनके हिस्से की भूमि क्रय कर ली। इस प्रकार प्रतिवादी सं. [illegible] वाद वर्णित भूमि में दर्ज रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। अतः वाके [illegible] बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 1764/4 रकबा 0.888923 है. भूमि में प्रतिदावा कर्ता प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

11 का 0.083923 है. हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। का खाता विभाजन किया जाकर लगान भी अलग से कायम किया जाने की कृपा करे।

(5). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी 2066–69 पेश किये गए।

(6). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 12.05.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त हुई ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। वकुलाय पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–::आदेश::–

न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 1764/4 रकबा 0.888923 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 3/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 60 / 2012
निर्णय दिनांक :- ....

लेखराम **बनाम** श्रीराम आदि
दावा खाता विभाजन

-:निर्णय:-

वादी की ओर से **श्री नरेश कुमार भारद्वाज एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 11 की उपस्थिती एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में आज तारीख ...3/2/22... को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष प्राथमिक डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 1764/4 रकबा 0.888923 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...3/2/22... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)